

प्रेस-विज्ञप्तिथाना देवगांव

25000 रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद
दिनांक 20.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक महोदय शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह के द्वारा मु0अ0स0 118/2022 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्ट एक्ट में चल रहा वांछित 25000/-रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अजीत यादव पुत्र जियालाल यादव सा0 एकौनी थाना केराकर जनपद जौनपुर को चेकिंग के दौरान करिया गोपालपुर मोड पर से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 255 /22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 118/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्ट एक्ट व मु0अ0स0 225/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का बोध कराते हुए समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार शूदा व्यक्ति का नाम पता—

अजीत यादव पुत्र जियालाल यादव सा0 एकौनी थाना केराकर जनपद जौनपुर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 225/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट0

आपराधिक इतिहास

मु (अ0स0 118/2022 धारा 3(10यू0पी0 गैगेस्ट एक्ट0

बरामदगी

अदद अवैध तमंचा .315 01बोर अदद जिन्दा कारतूस .315 01 ,बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डेय थाना देवगाँव आजमगढ़
- 2.का0 नन्दलाल कुशवाहा पाण्डेय थाना देवगाँव आजमगढ़
3. का0 बलराम पाल पाण्डेय थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- रानी की सरायछेड़खानी व मारपीट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.07.2022 को वादी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया जिसमें दिनांक 17.07.2022 की रात्रि करीब 23.00 बजे अभियुक्त 1. सूरज सरोज पुत्र विजय लाल सरोज ग्राम चांदीटीकर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सिकन्दर सरोज पुत्र फौजदार सरोज 3. मिथिलेश पुत्र रामलखन सरोज साकिनान जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को घर में घुसकर जबरजस्ती उठाकर पास के खेत में ले जाना तथा सूरज सरोज द्वारा छेड़खानी करना व उपरोक्त मुल्जमानों द्वारा मारपीट करना व दिनांक 18.07.2022 को समय 14.00 बजे सुनील पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सिरवा उसाउर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 8-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी डण्डा लेकर मारना पीटना जिससे रीता पत्नी रामबृज, रामकेश पुत्र स्व0 सुधिराम, गोलू पुत्र रामबृज, निशा पुत्री सतई को चोटे आना व भतीजा अवधेश कुमार को सिकन्दर द्वारा फोन से जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 228/2022 धारा 147/148/452/323/354/507 बनाम 1. सूरज सरोज पुत्र विजय लाल सरोज ग्राम चांदीटीकर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सिकन्दर सरोज पुत्र फौजदार सरोज 3. मिथिलेश पुत्र रामलखन सरोज साकिनान जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 4. सुनील पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सिरवा उसाउर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 8-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 20.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी रानी की सराय के कुशल निर्देशन में व0उ0नि0 निशात जमा खां मय हमराह कां0 जितेन्द्र पाठक के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 228/2022 धारा 147/148/452/323/504/507 भा0द0वि0 व 7, 8 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त सूरज सरोज पुत्र विजय लाल सरोज ग्राम चांदीटीकर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय 08.30 बजे बेलईसा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 228/2022 धारा 147/148/452/323/504/507 भा0द0वि0 व 7, 8 पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

सूरज सरोज पुत्र विजय लाल सरोज ग्राम चांदीटीकर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

ब0उ0नि0 निशात जमा खां, कां0 जितेन्द्र पाठक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना बरदहलड़की को बहला फुसला कर भगा कर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त त्रिलोकी पुत्र हरिश्चन्द्र आदि 04 नफर द्वारा वादी की नातिन उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भाग ले जाना तथा दुष्कर्म करना जिसके संबंध मे थानास्थानीय पर मु0अ0स0 128/2022 धारा 363/366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्त इन्द्रसेन पुत्र हरिश्चन्द्र सा0 बौवापार थाना बरदह का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 20.07.22 को प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह के द्वारा मु0अ0स0 128/2022 धारा 363/366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इन्द्रसेन पुत्र हरिश्चन्द्र सा0 बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को उसके घर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 7.55 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 128/2022 धारा 363/366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

इन्द्रसेन पुत्र हरिश्चन्द्र सा0 बौवापार थाना बरदह आजमगढ़

पुलिस टीम-

संजय सिंह (प्र0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
राजेन्द्र कुशवाहा (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
बृजेश गौड (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
विकाश कुशवाहा (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
कृष्णचन्द (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
सुषमा सिंह(म0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
मनीषा यादव (म0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.07.2022 को विपक्षी राजमन निषाद रोहित निषाद उर्फ छोटू, पुत्रगण राम जियावन निषाद निवासी अनन्तपुर व उनके मौसा बिन्देश पुत्र सुरेश निवासी करीमनगर थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर व शीला निषाद पत्नी रामजियावन निषाद ने मिलकर फेसबुक प्रोफाइल फोटो के विवाद को लेकर लाठी डन्डे वसुंली लेकर वादी राजपतिभाई ठकुरी निषाद व नकुल निषाद व धर्मराज पत्नी, राजवली को गाली देते हुए मारना पीटना। बीच बचाव करने आये लोगो को मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में दिनांक थाना स्थानीय पर राजपति को 12.07.2022 निषादपुत्र स्व आजमग मँहगी निषाद ग्राम अनन्तपुर थाना अतरौलिया जि0 0 की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 236/22 धारा 323/504/506 IPC पंजीकृत किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 308IPC की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 20.07.2022 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह का0 दशरथ प्रसाद व का0 विनय प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्त रोहित निषाद उर्फ छोटू निषाद पुत्र रामजियावन साकिन अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को ग्राम गुलरी से अभियुक्त के मौसी के घर पर दबिश देकर समय 08.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 236/22 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रोहित निषाद उर्फ छोटू निषाद पुत्र रामजियावन साकिन अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव
2. का0 दशरथ प्रसाद
2. का0 विनय प्रताप सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

चोरी के मुकदमे का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार तथा चोरी गया माल बरामद

दिनांक 01.07.2022 को वादी मुकदमा श्री अतवारू पुत्र स्व0 किशोरी निवासी ग्राम बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी किराना की दुकान कस्बा सराय से अज्ञात चोर द्वारा दुकान में रखे हुए सामान रिफाइंड तेल, सरसो का तेल कास्मेटिक क्रिम डिटर्जेंट पाऊडर आदि चुरा लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 20.07.2022 को प्र0नि0 मुबारकपुर योगेन्द्र बहादूर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय हमराह कर्मचारीगण सठियांव ब्लाक पर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थे कि मुखबीर खास की सूचना पर उ0नि0 रामकृष्ण सिंह प्रभारी चौकी सठियांव मय उ0नि0 राजीव कुमार सिंह प्रभारी चौकी कश्बा मुबारकपुर मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर के बताये स्थान हैरैया बार्डर पर मय मुखबिर के पहुंच कर मुखबिर की निशादेही पर मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल 01 अदद मो0सा0 व सरसो का तेल 2 – 2 लीटर के 3 जार व एक लीटर का रिफाइंड तेल 1 जार व एक किलो का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर 01 पैकेट व डाबर आवला तेल 6 पीस व 10 पीट घड़ी टिकिया व एक्सपर्ट बर्तन धुलने का टिकिया 10 पीस लाइफबवाय टिकिया 05 पीस, डेटाल साबुन 05 पीस, क्लीनिक प्लस शैम्पू पाउच 40 पीस, नवरत्न तेल पाउच 40 पीस, फेयर एण्ड लबली 01 व हिमगंगे तेल 01 व नकद 300 रूपया की बरामदगी की गयी।

नाम पता पूछने पर अपना नाम मो0 शाहबान उर्फ सुफियान पुत्र इस्तियाक सा0 आजादनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-186/2022 धारा 380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 शाहबान उर्फ सुफियान पुत्र इस्तियाक सा0 आजादनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

01 अदद मो0सा0 व सरसो का तेल 2 – 2 लीटर के 3 जार व एक लीटर का रिफाइंड तेल 1 जार व एक किलो का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर 01 पैकेट व डाबर आवला तेल 6 पीस व 10 पीट घड़ी टिकिया व एक्सपर्ट बर्तन धुलने का टिकिया 10 पीस लाइफबवाय टिकिया 05 पीस, डेटाल साबुन 05 पीस, क्लीनिक प्लस शैम्पू पाउच 40 पीस, नवरत्न तेल पाउच 40 पीस, फेयर एण्ड लबली 01 व हिमगंगे तेल 01 व नकद 300 रूपया

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रामकृष्ण सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह
3. हे0का0 रविन्द्र सिंह, का0 सदाम हुसैन अंसारी, का0 नन्दलाल चौहान व का0 अरुण कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना देवगांव

15000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 20.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक महोदय शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह के द्वारा मु0अ0स0 196/2022 धारा 3(1)यू0पी गैगेस्ट एक्ट से सम्बन्धित वांछित 15000/-रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी एखलाक पुत्र सज्जाद निवासी कटौली बुजुर्ग थाना देवगाँव आजमगढ को ग्राम कटौली बुजुर्ग से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है
गिरफ्तारी का स्थान- कटौली बुजुर्ग

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 196/2022 धारा 3(1)यू0पी गैगेस्ट एक्ट

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

एखलाक पुत्र सज्जाद निवासी कटौली बुजुर्ग थाना देवगाँव आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डेय थाना देवगाँव आजमगढ
2. व0उ0नि0 तारकेश्वर राय थाना देवगाँव जनपद आजमगढ
3. हे0का0 तनवीर असलम थाना देवगाँव आजमगढ
4. म0का0 गुंजन यादव थाना देवगाँव आजमगढ

थाना जीयनपुर

गैगेस्टर एक्ट से संबन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 20/07/2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 468/2022 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से संबन्धित जीशान पुत्र शेर मोहम्मद निवासी असरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को अंजान शहीद से नुरुद्दीनपुर जाने वाले मार्ग से समय करीब 00.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास –

मु धारा 302/34/506 भादवि थाना 0048/2021 -अ0सं00जीयनपुर

मु (धारा 3(1) 468/2022-अ0सं00गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त -

जीशान पुत्र शेर मोहम्मद निवासी असरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. नि0अ0 अवधेश कुमार अवस्थी थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ ।
2. हे0का0 रविन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ ।
3. का0 सुजीत कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ ।
4. का0 अतुल पाल थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ ।

थाना गम्भीरपुर

मारपीट के वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.07.2022 को ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ मे बकरी द्वारा सफेदा का पेड़ चर लेने को लेकर दो पक्षो मे मारपीट हुयी थी जिसके सम्बन्ध मे दोनो पक्षो की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की गयी थी उसी विवाद को लेकर दिनांक 16.07.2022 को पुनः दोनो पक्षो मे मारपीट हुई जिसमे प्रथम पक्ष के वादी श्री राजेन्द्र पुत्र स्व0 जयमंगल निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ के प्रार्थनापत्र पर मु.अ.सं. 245/2022 धारा 147/ 148/ 452/ 307/ 308/ 323/ 506 IPC बनाम 1. संजय पुत्र रामबली 2. केदार पुत्र रामबली 3. मुकेश पुत्र रामबली 4. रविन्द्र पुत्र रामबली 5. राकेश पुत्र रामबली 6. आसा पुत्री रामबली 7. सुभावती पत्नी रामबली 8. शशिकला पत्नी संजय 9. सनलता पत्नी रविन्द्र समस्त निवासीगण जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ व दित्तीय पक्ष की तरफ से वादी श्री राकेश पुत्र रामबली निवासी जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ के प्रार्थनापत्र पर मु.अ.सं. 246/2022 धारा 147, 323, 308, 504, 506 IPC बनाम 1. राजेन्द्र पुत्र जयमंगल 2. अन्नू पुत्र राजेन्द्र 3. सविता पत्नी राजेन्द्र 4. अजय पुत्र रामफेर 5. अर्जुन पुत्र रामफेर 6. मुन्नीलाल पुत्र रामफेर समस्त निवासीगण जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया था

आज दिनांक 20.07.2022 को उ.नि. राजबहादुर यादव मय हमराह के द्वारा मु.अ.सं. 245/2022 धारा 147/ 148/ 452/ 307/ 308/ 323/ 506 IPC से सम्बन्धित 1. संजय पुत्र रामबली निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ 2. राकेश पुत्र रामबली निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ व मु.अ.सं. 246/2022 धारा 147, 323, 308, 504, 506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जयमंगल निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

संजय पुत्र रामबली निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ

राकेश पुत्र रामबली निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जयमंगल निवासी ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग.....

मु0अ0सं0 245/22 धारा 147,148,452,307,308,323,506 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ

मु0अ0सं0 246/22 धारा 147,323,308,504,506 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

उ.नि. राजबहादुर यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ

का0 अर्जुन यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ

का0 पंकज कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ

थाना कोतवाली

फर्जी कंपनी बनाकर बालिकाओं को ठगने वाली महिला ठग सरगना सहित दो गिरफ्तार

आवेदिका ममता पत्नी वीरेंद्र निवासी गुरु टोला थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 को लिखित तहरीर दिया गया कि दो लड़कियां अभियुक्ता पूजा कन्नौजिया एवं मुस्कान कन्नौजिया विगत मई माह से आवेदिका के घर पर आकर वादिनी की लड़की शालिनी को अपनी संस्था स्मार्ट ब्रिज जिसे भारत सरकार की संस्था बताकर कंप्यूटर सिखाने के नाम पर ₹15500 विभिन्न किस्तों में जमा कराएं तथा सादा फार्म गुरुकुल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की रसीद तथा आयकर विभाग भारत सरकार का एक प्रमाण पत्र दिया व वादिनी की लड़की के साथ पढ़ने वाली गुड़िया से ₹6300 तथा मुस्कान से ₹5500/-जमा कराएं। ट्रेनिंग के दौरान मेरी लड़की ने बताया कि यह फर्जी संस्था है और लड़कियों को बहला-फुसलाकर उन्हें सपने दिखाकर और लोगों से ₹15000 जमा कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसका कमीशन देने की बात कर रहे हैं। कोई भी इनकी संस्था भारत सरकार से संबंधित नहीं है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 343/2022 धारा 406, 420, 467, 468 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक डी.के. श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को बहला-फुसलाकर भारत सरकार का संस्था बताकर ट्रेनिंग के नाम पर ₹15-15 हजार रुपए ठगने वाली सरगना पूजा कन्नौजिया पुत्री राधेश्याम कन्नौजिया निवासी ग्राम भगवानपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर अपनी बहन मुस्कान कन्नौजिया के साथ आज दिनांक 20 जुलाई 2022 को चौकी प्रभारी बदरका अश्विनी कुमार मिश्रा व हमराही फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 343/2022 धारा 406, 420, 467, 468 IPC

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

1. पूजा कन्नौजिया पुत्री राधेश्याम कन्नौजिया उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भगवानपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर
2. मुस्कान कन्नौजिया पुत्री राधेश्याम कन्नौजिया उम्र 18.5 वर्ष निवासी ग्राम भगवानपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर

बरामदगी – एक अदद वाहन संख्या UP47AA6302 धारा 207 एमवी एक्ट में सीज